International Journal of Research in Social Sciences And Humanities http://www.ijrssh.com
(IJRSSH) 2013, Vol. No. 3, Issue No. III, July-Sept ISSN: 2249-4642

भारत–अमेरिका परमाणु समझौते का आलोचनात्मक मूल्यांकन

* डॉ. औमप्रकाश पंवार

* * उपासना

* भूतपूर्व प्राचार्य, आदर्श कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ब्राह्मणवास (जुलाना, जींद)
**पीएच.डी स्कोलर, राजनीति विज्ञान विभाग, मोनाड़ यूनिवर्सिटी, हापुड़ (यू.पी.)

विश्व शांति के प्रतीक माने जाने वाले भारत और दुनिया की महाशक्ति माने जाने वाले अमेरिका के बीच "भारत–अमेरिका न्यूक्लियर समझौता" विश्व के इतिहास में भारत की एक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक उपलब्धि है। भारत के लिए यह इसलिए महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि भारत को सन् 1974 में पोखरण में किए गए प्रथम परमाणु परीक्षण के बाद से अमेरिका सहित अन्य परमाणु देशों ने भारत को परमाणु ईंधन की आपूर्ति और तकनीकी के हस्तांतरण के संबंध में निषेध की स्थिति का सामना करना पड़ रहा था। आज भारत और अमेरिका के इस न्यूक्लियर समझौते के बाद परमाणु अप्रसार सन्धि और परमाणु परीक्षण निषेध सन्धि पर हस्ताक्षर किए बगैर इस निषेध से मुक्त होकर परमाणु दुनिया की मुख्य धारा में विशिष्ट देश की सूची में शामिल हो गया है, प्रस्तुत शोध लेख द्वारा यह जानने का प्रयास किया गया है कि भारत–अमेरिका परमाणु समझौता भारत के लिए कितना उपयोगी है? क्या यह भारत के राष्ट्रीय हितों के अनुरूप होगा या अमेरिकी हितों के?

भारत की आजादी के बाद भारत और अमेरिका के संबंध मुद्दों के आधार पर सहयोगात्मक और असहयोगात्मक दोनों तरह के रहें। भारत द्वारा आणविक अप्रसार सन्धि 1968 पर हस्ताक्षर न करने से दोनों देशों के मध्य संबंध में दरार पड़ने लगी और 11 एवं 13 मई 1998 को भारत में परमाणु परीक्षण किए तो अमेरिका नाराज हो गया और भारत की कटु आलोचना की। भारत और अमेरिका के मध्य अब तक जितने भी सहयोग समझौते हुए उन सब में "भारत–अमेरिका परमाणु असैन्य सहयोग समझौता" एक ऐतिहासिक समझौता है। इस प्रकार की तीन तरह की संधियाँ हुई हैं –

IJRSSH

1. पहली संधि परमाणु सम्पन्न देशों की, परमाणु सम्पन्न देशों के साथ।
2. दूसरी परमाणु सम्पन्न देशों की गैर–परमाणु सम्पन्न देशों के साथ जो एनपीटी और सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर करने वाले देश हैं और
3. तीसरी संधि परमाणु सम्पन्न देश की ऐसे देश के साथ जिसने सी.टी.बी.टी. और एन. पी.टी. पर दस्तखत नहीं किए हैं साथ ही परमाणु शक्ति से सम्पन्न हैं।

अमेरिका और भारत के बीच हुए करार तीसरी श्रेणी में है और इसीलिए ऐतिहासिक है कि आज तक इस तरह का करार नहीं हुआ।

भारत ने स्वतंत्रता के पश्चात् विविध क्षेत्रों में विकास का बिगुल बजाया है, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं परमाणु क्षमता की सामर्थ्य ने भारत को विश्व पटल पर उभारा है। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की सशक्त भूमिका और विकासमान गति ने यूरोपीय देशों को सजग बनाया और वे अपने–अपने निहितार्थों को दृष्टिगत रखकर भारत से सम्पर्क एवं समीपता बढ़ाने लगे। भारत का परमाणु समझौता इन्हीं सदंर्भो की परिणति माना जा सकता है। विकास के अपरिहार्य विकल्प के रूप में नाभिकीय ऊर्जा की मांग, विकासशील देशों का प्रमुख आकर्षण है। यही आकर्षण भारत के इस समझौते के मूल में रहा है, लेकिन भारत में सामरिक विश्लेषकों ने इस सफलता की आलोचना भी की है। उनका मानना है कि भारत अब अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु संधि की परिधि में आ गया है।[1]

यही नहीं, भारत द्वारा स्वयं को परमाणु सम्पन्न राष्ट्र मानना परमाणिक शक्ति सम्पन्न महाशक्ति बनने की बेबुनियादी महत्त्वकांक्षा के अतिरिक्त कुछ नहीं है।[2] भारत–अमेरिका परमाणु समझौते की आलोचना करते हुए पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने भी न्यूयार्क टाइम्स में उदृत किया, ''यह समझौता वैश्विक रूप से परमाणु अप्रसार समझौता के महत्त्व एवं सम्मान को कम कर देता है।''[3] बहरहाल अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी एवं भारत अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष के हस्ताक्षर के बाद यह एक ऐतिहासिक सच बन चुका है।

इस अविस्मरणीय सफलता के साथ वर्षों पुराने नाभिकीय भेदभाव के युग का अंत''[4] संभव हो गया। इस प्रकार न केवल भारत का परमाणु–वनवास[5] समाप्त हुआ बल्कि विश्व परिदृश्य में भारत के वर्षों पुराने परमाणु–अलगाववाद पर भी पूर्ण विराम लग गया।[6]

भारत और अमेरिका के बीच इस आणविक समझौते की क्रियान्वित हो जाने की दशा में भारत परमाणु आपूर्ति समूह के देशों से नाभिकीय ईंधन प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हो गया, उल्लेखनीय है कि इस दायरे में वो सभी **45** देश आ जाते हैं जिनके पास आधुनिकतम परमाणु तकनीक है अथवा जो परमाणु सामग्री निर्यात करते हैं इससे भारत की नाभिकीय ईंधन की बहुत बड़ी आवश्यकता पूरी होगी। निर्विवाद तौर पर भारत और अमेरिका के मध्य यह समझौता देश के विकास और अर्थव्यवस्था के लिए मील के पत्थर[7] की तरह साबित होगा। भारत–अमेरिका न्यूक्लियर समझौते से देश को निम्नलिखित सकारात्मक लाभ होंगे :–

- दुनिया की महाशक्ति अमेरिका के साथ इस परमाणु करार के बाद भारत संसार के मानचित्र पर परमाणु प्रौद्योगिकी के सम्पन्न देश के रूप में शामिल हो गया। इससे भारत के अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका सहित अन्य परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित होंगे।
- इस समझौते से अमेरिका सहित अन्य परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों के साथ परमाणु व्यापार के द्वारा उच्च नाभिकीय तकनीक उपलब्ध होगी।
- भारत के द्वारा परमाणु अप्रसार व समग्र परमाणु निषेध संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं इस करार के बाद भारत दुनिया के ऐसे छंठवें विशिष्ट देश में शामिल हो गया है जिनको अपने नाभिकीय हथियार बनाए रखते हुए नाभिकीय सहयोग और व्यापार की छूट मिली है।
- इस समझौते से भारत की ऊर्जा जरूरतें पूरी होगी।

- इस समझौते के द्वारा भारत के बंद परमाणु रिएक्टर को नवीनतम ऊर्जा, तकनीक, ईंधन, कलपुर्जे, भट्टियाँ, वैज्ञानिक सहयोग के साथ–साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा पारस्परिक समन्वय प्राप्त होगा।
- भारत–अमेरिका के इस समझौते द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत एवं अमेरिका के मैत्रीपूर्ण संबंध बनेंगे। इससे भारत को अमेरिका का सहयोग व समर्थन मिलेगा जिससे भारत की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की दावेदारी को बल मिलेगा।
- भारत को अमेरिका के साथ इस करार से परमाणु प्रौद्योगिकी उपलब्ध होगी जिसका उपयोग वह चिकित्सा प्रौद्योगिकी, मौसम पूर्वानुमान और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति कर सकेगा।
- इस समझौते के तहत अमेरिका ने भारत को दिए जाने वाले परमाणु ईंधन के उपयोग के बाद अन्तर्राष्ट्रीय निगरानी ऊर्जा एजेन्सी की निगरानी में इस ईंधन के पुनः उपयोग की भी सहमति दे दी है जिससे भारत की ऊर्जा सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी जिसका लाभ देश के विकास के साथ–साथ अर्थव्यवस्था को होगा।
- भारत और अमेरिका के बीच के इस न्यूक्लियर करार के अभाव में भारत में ऊर्जा संबंधी कमी निरन्तर बढ़ती चली जाती जिससे देश के आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना सुनिश्चित था। इस दृष्टि से भी यह भारत के लिए न्यूक्लियर समझौता लाभदायक है।
- समझौते से जुड़े 123 एग्रीमेंट की धारा 6 और 14 में यह भी प्रावधान है कि यदि भारत अपनी सुरक्षा आवश्यकता के मद्देनजर परीक्षण करता है तो अमेरिका सकारात्मक रूख अपना सकता है। इससे भी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि यदि भविष्य में चीन या पाकिस्तानी परमाणु परीक्षण करते हैं तो भारत के जवाबी परीक्षण से समझौता प्रभावित नहीं होगा।

इस तरह के स्पष्ट है कि भारत और अमेरिका के मध्य इस न्यूक्लियर समझौता से दुनिया में भारत की साख बढ़ी है और इसी के समानांतर इससे भारत की ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं की एक बहुत बड़ी सामयिक आवश्यकता की पूर्ति की है जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था में निरन्तर सुधार आएगा और विश्व स्तर पर भारत की पहचान एक सशक्त राष्ट्र के रूप में बनेगी।

भारत–अमेरिकी परमाणु समझौते के संबंध में अलबर्ट आंइस्टीन का कथन उल्लेखनीय है कि ''यदि विश्व नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग शांतिपूर्ण कार्यों हेतु कर पाने में सफल हो गया तो यह एक नए स्वर्ग के द्वारा खोलेगा'' भारत 'विश्व गुरु' भी है और 'विश्व शांति का प्रतीक' भी इस दृष्टि से यह कहना उचित होगा कि भारत और अमेरिका का यह न्यूक्लियर करार भारत को नाभिकीय अस्पृश्यता से मुक्ति दिलाते हुए देश में विकास की संभावनाओं के नए द्वार खोलेगा।

भारत अमेरिका समझौते की शंकाए :–

- भविष्य में परमाणु परीक्षण न कर पाने से भारत के परमाणु हथियारों के विकास कार्यक्रमों को नुकसान होने की संभावनाएँ हो सकती हैं।
- भारत की दूसरे देशों पर निर्भरता बढने की आशंका है।
- अमेरिका का मूल लक्ष्य परमाणु समझौते की आड़ में पक्षपातपूर्ण और प्रतिबंधात्मक अन्तर्राष्ट्रीय ढ़ांचे में भारत को घसीटना है। इससे भारत की छवि को नुकसान होगा।
- रिएक्टरों की निगरानी से देश की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है।
- असैन्य क्षेत्रों के मिलने वाले ईंधन, तकनीक व पुर्जों पर अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण रहेगा।
- भारत में असैन्य तथा सैन्य दोनों कार्यक्रम एक ही प्रकार के संयंत्र में होते रहे हैं अतः यह नामुमकिन नहीं कि असैन्य संयंत्र जब पूर्ण निगरानी में जाएंगे तो उनमें पहले से चल रहे परमाणु कार्यक्रमों के रहस्य अमेरिका जान ले।
- परमाणु करार की आड़ में खाद्य और कृषि जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्र में अमेरिकी कम्पनियों के हितों को बढ़ाया जाएगा। इससे भारतीय कृषकों की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है।

IJRSSH